सतनामसिह आदि विरूद्ध जण्डेल सिंह आदि

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निगरानी 2438–पीबीआर / 14 जिला – ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
7–8–14	संबंधित पीठासीन अधिकारी प्रवास पर होने से यह प्रकरण मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया । आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीश श्रीवास्तव उपस्थित । उन्हें प्रकरण की ग्राह्यता एवं स्थगन के बिंदु पर सुना गया । 2– आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया । तहसीलदार के आदेश से स्पष्ट होता है कि उन्होंने उभयपक्षों को सुनने के उपरांत तथा राजस्व अभिलेख का निरीक्षण करने के उपरांत रास्ते के उपयोग के संबंध में पूर्वानुसार यथास्थिति बनाए रखने के लिए दोनों पक्षों को आदेश दिए गए हें तथा प्रकरण साक्ष्य हेतु नियत किया गया है । तहसीलदार, डबरा के इस आदेश में प्रथमदृष्टया कोई अनियमितता या विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है जिस कारण निगरानी ग्राह्य की जाये । परिणामतः यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । सदस्य	

जिला ग्वालियर

प्र. क्र. /निगरानी/ /अध्यक्ष/2014 R 2438-PBR/14

1. सतनामसिंह पुत्र श्री प्यारासिंह निवासी ग्राम गंगाबाग तहसील डबरा जिला ग्वा0
2 सुखदेवसिंह पुत्र श्री प्यारासिंह
3. मेजरसिंह पुत्र श्री प्यारासिंह निवासीगण ग्राम मगरौरा तहसील डबरा जिला ग्वा0 ...प्रार्थीगण

बनाम

1. जण्डेलसिंह
2. बख्शीससिंह
3. हरचरणसिंह
4 देवेन्द्रसिंह पुत्रगण जसवंतसिंह निवासीगण ग्राम गंगाबाग मगरौरा तहसील डबरा व जिला ग्वालियर म0प्र0 .....प्रतिप्रार्थी

श्री राजेश श्रीवास्तव द्वारा आज दि. 5-8-14 को प्रस्तुत
5-8-14
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर